



Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 11-2022/Ext.] CHANDIGARH, TUESDAY, JANUARY 18, 2022 (PAUSA 28, 1943 SAKA)

हरियाणा सरकार

शहरी स्थानीय निकाय विभाग

अधिसूचना

दिनांक 18 जनवरी, 2022

संख्या 8/4/2022-4कII.— हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994 (1994 का 16) की धारा 149 की उप-धारा (1) के साथ पठित धारा 87 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा हरियाणा सरकार, शहरी स्थानीय निकाय विभाग (समितियाँ), अधिसूचना संख्या का०आ० 85/ह०आ० 16/1994/धा० 87/2013, दिनांक 11 अक्टूबर, 2013 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात् :—

संशोधन

हरियाणा सरकार, शहरी स्थानीय निकाय विभाग (समितियाँ) की अधिसूचना संख्या का०आ० 85/ह०आ० 16/1994/धा० 87/2013, दिनांक 11 अक्टूबर, 2013 में, पैरा 5 में, उप-पैरा (ख) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-पैरा प्रतिस्थापित किया जाएगा अर्थात् :—

"(ख) देरी से भुगतान के मामले में, प्रति मास या उसके भाग के लिए 1.5 प्रतिशत की दर पर ब्याज प्रभारित किया जाएगा :

परंतु वर्ष 2010–2011 से 2020–21 तक के लिए सम्पत्ति कर के देय तथा बकाया पर ब्याज की एक मुश्त छूट सभी कर दाताओं को अनुमत होगी, यदि उन द्वारा 31 मार्च, 2022 तक अपने बकायों का भुगतान कर दिया जाता है।"

अरुण कुमार गुप्ता,
प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
शहरी स्थानीय निकाय विभाग।

HARYANA GOVERNMENT
URBAN LOCAL BODIES DEPARTMENT

Notification

The 18th January, 2022

No. 8/4/2022-4CII.— In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 87 read with sub-section (1) of section 149 of the Haryana Municipal Corporation Act, 1994 (16 of 1994), the Governor of Haryana hereby makes the following amendment in the Haryana Government, Urban Local Bodies Department (Committees), notification No. S.O.85/H.A.16/1994/S. 87/2013, dated the 11th October, 2013, namely:-

Amendment

In the Haryana Government, Urban Local Bodies Department (Committees), notification No. S.O. 85/H.A.16/1994/S.87/2013, dated the 11th October, 2013, in para 5, for sub-para (b), the following sub-para shall be substituted, namely:-

“(b) In case of late payment, interest at the rate of 1.5% per month or part thereof shall be charged:

Provided that one time waiver of interest on the dues and arrears of property tax pending since year 2010-11 to 2020-21 shall be allowed to all tax payers, if their arrears are paid upto 31st March, 2022.”.

ARUN KUMAR GUPTA,
Principal Secretary to Government Haryana,
Urban Local Bodies Department.